न्यायालय : अवर न्यायाधीश, अरेराज, तृतीय पूर्वी चम्पारण।
स्वत्व वाद संख्या 558 / 2014
सीआइएस 1686.18

प्रस्तुत समक्षः **श्री मनीष कुमार पाण्डेय।**

आदेश

दिनांक 28.11.2003 वाद पुकारा गया। मामले में वादी की तरफ से धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया। वादी का कथन है कि उसके द्वारा प्रस्तुत ब्यादेश आवेदन में गलती से कुछ शब्द गलत ढंग से आ गया है जिसका परिवर्तन करना आवश्यक है माननीय उच्च न्यायालय ने भी अपने मंतब्य में कई बार पाया है कि यदि आवश्यक परिस्थितियां हो तो परिवर्तन किया जा सकता है। वादी का कथन है कि ब्यादेश आवेदन के पैरा न0 6 में तथा पैरा न0 4 में कुछ शब्द आ गए हैं जिनका विलोपन आवश्यक है तथा प्रार्थना के भाग में कुछ शब्दों को विलोपित करना आवश्यक है अतः मामले में वादी के आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा करें ।

मामले में प्रतिवादी की तरफ से जवाब नहीं दिया गया है ।

उपस्थित पक्षकारों को सुना, अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख के अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि मामले में वादी अपने ब्यादेश आवेदन में परिवर्तन करना चाहते हैं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता न्यायालय के अंतनिर्हित शक्तियों के बारे में बताती है मामले में वादी का आवेदन की प्रकृति इस तरह की है कि उसको मंजूर करने पर पूरा पुराना आवेदन परिवर्तित हो जाएगा और यह परिवर्तन लिपिकीय त्रुटि जैसा नहीं है अतः वादी के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है । वादी को निर्देश दिया जाता है कि वह मामले में अग्रिम कार्रवाई करे तथा मूल ब्यादेश आवेदन पर अपनी बहस पूर्ण करें। एतद द्वारा वादी का आवेदन निस्तारित किया जाता है । वाद दिनांक .....वास्ते अग्रिम कार्रवाई।

लेखापित तथा संशोधित

अवर न्यायाधीश
अरेराज (पूर्वी चम्पारण)